अनुदान संख्या 18 - संस्कृति मंत्रालय
GRANT No. 18 - MINISTRY OF CULTURE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original		3070,92,00	3135,94,00	3077,35,90	-58,58,10
पूरक	Supplementary		65,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					13,83,07
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original		190,01,00	190,03,00	182,64,20	-7,38,80
पूरक	Supplementary		2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,41,91

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹5858.10 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹6502.00 लाख की पूरक अनुदान का 90 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹5858.10 lakhs) constituted 90 percent of the supplementary grants of ₹6502.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2205"	Major Head "2205"				
कला एवं संस्कृति	Art and Culture				
मू.	O.	295335.00			
पू.	S.	6501.00	305390.57	301010.79	-4379.78
पु.	R.	3554.57			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5203.00			
			..	..	..
पु.	R.	-5203.00			

(I) ₹5211.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹4628.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "कला और संस्कृति – कला और संस्कृति का संवर्धन – कला संस्कृति विकास योजना" – ₹3425.00 लाख; और

(खा) "कला और संस्कृति – संग्रहालय – संग्रहालयों का विकास" – ₹1203.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2205" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(I) Provision of ₹5211.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹4628.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Art and Culture - Promotion of Art and Culture - Kala Sanskriti Vikas Yojana" - ₹3425.00 lakhs; and

(B) "Art and Culture - Museums -Development of Museums" - ₹1203.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2205" - savings occurred under the following heads:-

(का) "कला और संस्कृति का संवर्धन – राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप मिशन" – ₹965.93 लाख की बचत (₹1401.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Promotion of Arts and Culture - National Mission on Cultural Mapping and Roadmap" - saving of ₹965.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1401.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(खा) "सार्वजनिक पुस्तकालय" –

(B) "Public Libraries" -

(क) "पुस्तकालय एवं अभिलेखागार – भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार" – ₹3827.89 लाख की बचत (₹10711.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिलों को प्रस्तुत करने में विलंब होने, प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Libraries and Archives - National Archives of India" - saving of ₹3827.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10711.00 lakhs) was due to delay in submission of bills, non-materialization of proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "पुस्तकालय और अभिलेखागार – राष्ट्रीय पुस्तकालय"– ₹839.59 लाख की बचत (₹5320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Libraries and Archives - National Library"- saving of ₹839.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5320.00 lakhs); and

(ग) "स्वायत्त निकाय और अनुदानग्राही निकाय" – ₹1513.60 लाख की बचत (₹11150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Autonomous Bodies and Grantee Bodies" - saving of ₹1513.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11150.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत विभिन्न परियोजनाओं / प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-materialization of various projects/proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "पुरातात्विक सर्वेक्षण" –

(C) "Archaeological Survey" -

(क) "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशालय"– ₹9151.39 लाख की बचत (₹62697.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चयनित उम्मीदवारों का विलंब से कार्यभार ग्रहण करने, कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Directorate of Archaeological Survey of India" - saving of ₹9151.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62697.00 lakhs) was due to late joining of recruits, receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "भवनों का विकास एवं मरम्मत" – ₹1574.81 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(b) "Development and Repair of Buildings" - saving of ₹1574.81 lakhs (against the

तुलना में) निर्माण संबंधी कार्यों तथा विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक संबंधी कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for construction activities and 46th World Heritage Committee meeting.

(घा) "संग्रहालय" –

(क) "स्वायत्त निकाय और अनुदानग्राही निकाय" – ₹678.34 लाख की बचत (₹37470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न परियोजनाओं / प्रस्तावों का मूर्त रूप न लेने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "संग्रहालयों का विकास" – ₹514.71 लाख की बचत (₹13387.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–संग्रहालयों का विकास" – ₹887.58 लाख की बचत (₹1220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(चा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – संग्रहालयों का विकास" – ₹569.21 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें टीएसए मॉड्यूल–I के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1055.68 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपयुक्त बचत (₹17122.65 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2205" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹6501.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय

(D) "Museums" -

(a) "Autonomous Bodies and Grantee Bodies" - saving of ₹678.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37470.00 lakhs) was due to non-materialization of various projects/proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Development of Museums" - saving of ₹514.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13387.00 lakhs);

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Development of Museums" - saving of ₹887.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1220.00 lakhs); and

(F) "Tribal Area Sub-Plan - Development of Museums" - saving of ₹569.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-utilisation of funds by the implementing agencies under TSA module -I.

(III) Under three heads savings of ₹1055.68 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 14 percent to 27 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹17122.65 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹6501.00

संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) “कला और संस्कृति का संवर्धन” –

(क) “मिशन” – ₹350.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹262.02 लाख था।

(ख) “स्वायत्त निकाय और अनुदानग्राही निकाय” – ₹15124.65 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15087.74 लाख था।

(खा) “पुरातात्विक सर्वेक्षण – प्राचीन स्मारकों का संरक्षण” – ₹1648.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1607.30 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2205” – “कला और संस्कृति का संवर्धन” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) “कला संस्कृति विकास योजना” – ₹2966.56 लाख का अधिक व्यय (₹13786.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्ष में किए जाने के कारण हुआ।

(खा) “शताब्दी और वर्षगांठ समारोह” – ₹1742.36 लाख का अधिक व्यय (₹8057.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्ष में किए जाने और स्मरणोत्सव के लिए विज्ञापन और प्रचार हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

lakhs under the Major head “2205” - under the following heads: -

(A) “Promotion of Arts and Culture” -

(a) “Mission” - ₹350.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹262.02 lakhs.

(b) “Autonomous Bodies and Grantee Bodies” - ₹15124.65 lakhs. Actual excess, however, was ₹15087.74 lakhs.

(B) “Archaeological Survey - Conservation of Ancient Monuments” - ₹1648.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1607.30 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2205” - “Promotion of Arts and Culture”- under the following heads: -

(A) “Kala Sanskriti Vikas Yojana” - excess of ₹2966.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13786.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional head for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) “Centenary and Anniversary Celebrations” - excess of ₹1742.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8057.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional head for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards advertisement and publicity for commemorations.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	18656.00			
पू.	S.	1.00	18344.09	18057.31	-286.78
पु.	R.	-312.91			

(I) "कला एवं संस्कृति – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – संबद्ध कार्यालय" के अंतर्गत ₹642.74 लाख की बचत (₹14038.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नयी भूमि के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव न होने के कारण हुई।

(I) Under "Art and Culture - Archaeological Survey of India - Attached Office"- saving of ₹642.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14038.00 lakhs) was due to no proposal for acquisition of new land.

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹690.45 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत और 88 प्रतिशत थी।

(II) Under two heads savings of ₹690.45 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 34 percent and 88 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचत "कला और संस्कृति – सार्वजनिक पुस्तकालय – पुस्तकालय और अभिलेखागार – भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹840.80 लाख का अधिक व्यय (₹1198.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विरासत परिसंपत्तियों का संरक्षण और परिरक्षण, विरासत परिसंपत्तियों का उन्नयन और टिशू पेपर की भारी मात्रा में खरीद किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under "Art and Culture - Public Libraries - Libraries and Archives - National Archives of India" - excess of ₹840.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1198.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards projects on conservation and preservation of Heritage assets, upgradation of Heritage assets and procurement of voluminous quantity of Tissue paper.